राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग,
राजस्थान, जयपुर फोन नं. 0141–2223862, E mail ID : projectdirectorch@gmail.com

एफ.7 (38)/एन.एच.एम/सी.एच/MTC/2020/ 578 दिनांक 29.6.20

अधीक्षक,
जेएलएन मेडिकल कॉलेज– अजमेर, एस.पी.एम.सी. मेडिकल कॉलेज– बीकानेर, जे.के. लॉन– जयपुर, एस.एन. मेडिकल कॉलेज– जोधपुर, मेडिकल कॉलेज– झालावाड़, मेडिकल कॉलेज– कोटा व आर.एन.टी. मेडिकल कॉलेज, उदयपुर।
प्रमुख चिकित्सा अधिकारी– समस्त जिला अस्पताल/उप जिला अस्पताल– शाहबाद (बारां), सागवाड़ा (डूंगरपुर), पावटा (जोधपुर) व नाथद्वारा (राजसमन्द)।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
अलवर।

विषयः– COVID-19 महामारी में पोषण पुनर्वास केंद्रो (एमटीसी) एवं पोषण पुनर्वास केंद्रो (एमटीसी) में भर्ती SAM बच्चों के संबंध में।
संदर्भः– एफ.7 (38)/एनएचएम/सीएच/एमटीसी/2020/359 दिनांक 08.04.2020। (संलग्न)

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि COVID-19 वायरल महामारी की स्थिति को देखते हुए राज्य के MTC/NRC में विशेष रूप से इस चरण के दौरान भर्ती हुए बच्चों के लिए आवश्यक एहतियाती कदम उठाने हेतु संदर्भित पत्र के माध्यम से आवश्यक दिशानिर्देश दिए गए है।

गत 2 माह की रिपोर्ट के विश्लेषण से यह ज्ञात हुआ है कि अधिकतम एमटीसी की Bed Occupancy Rate शून्य है अर्थात् बच्चों को भर्ती नहीं किया जा रहा है। अतः संदर्भित पत्र में जारी दिशानिर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुए अतिगम्भीर कुपोषित बच्चों की स्क्रीनिंग कर उनको भर्ती करना सुनिश्चित करे ताकि कोई भी अतिगम्भीर कुपोषित बच्चा उपचार से वंचित न रहे।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि उक्त की पालना अविलम्ब की जानी सुनिश्चित करें।

मिशन निदेशक, एनएचएम
एवं विशिष्ट शासन सचिव
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प.क. सेवाऐं

क्रमांकः एफ7. ( )/एनएचएम/सी.एच./MTC/2020/ 578 दिनांकः 29.6.20
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव– चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सहायक, मिशन निदेशक– एनएचएम एवं विशिष्ट शासन सचिव– चिकि. स्वा. एवं प.क.
3. निजी सहायक, निदेशक–आरसीएच।
4. राज्य कार्यक्रम प्रबंधक, एनएचएम।
5. परियोजना निदेशक– शिशु स्वास्थ्य, एनएचएम।
6. संयुक्त निदेशक– समस्त जोन।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी– समस्त जिले।
8. जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी– समस्त जिले।
9. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक– समस्त जिले।
10. जिला आशा समन्वयक– समस्त जिले **को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि आशा के माध्यम से बच्चों की स्क्रीनिंग करवा अतिगम्भीर कुपोषित बच्चों को रेफर किया जाना सुनिश्चित करें।**
11. एमटीसी इन्चार्ज– समस्त एमटीसी।
12. प्रभारी सर्वर कक्ष।

निदेशक (आर.सी.एच.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान,जयपुर

राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग,
राजस्थान, जयपुर फोन नं. 0141–2223862, E mail ID : projectdirectorch@gmail.com

एफ 7 (38)/एन.एच.एम/सी.एच/MAA/2020/359 दिनांक 8/4/2020

अधीक्षक,
जेएलएन मेडिकल कॉलेज– अजमेर, एस.बी.एम.सी. मेडिकल कॉलेज– बीकानेर, जे.के. लॉन– जयपुर, एस. एन. मेडिकल कॉलेज– जोधपुर, मेडिकल कॉलेज– झालावाड़, मेडिकल कॉलेज– कोटा व आर.एन.टी. मेडिकल कॉलेज, उदयपुर।
प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,
समस्त जिला एवं उपजिला अस्पताल।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
अलवर।

विषयः– **COVID-19 महामारी में पोषण पुनर्वास केंद्रो (एमटीसी) एवं पोषण पुनर्वास केंद्रो (एमटीसी) में भर्ती SAM बच्चों के संबंध में।**

जैसा कि आपको विदित हैं, COVID-19 वायरल महामारी अपने चरम पर है, राज्य के MTC/NRC में विशेष रूप से इस चरण के दौरान भर्ती हुए बच्चों के लिए आवश्यक एहतियाती कदम उठाना अतिआवश्यक है।

यह एक सर्वविदित तथ्य है कि गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों में सामान्य बच्चों की तुलना में मृत्यु (लगभग 9 से 10 गुना) का खतरा अधिक होता है। आपको यह भी विदित होगा कि किसी भी वायरल महामारी के दौरान, कुपोषण में वृद्धि की संभावना अधिक रहती है। इस संबंध में, डब्ल्यूएचओ और यूनिसेफ द्वारा SAM बच्चों को COVID-19 के संक्रमण से बचाव हेतु एवं MTC/NRC को COVID-19 के संक्रमण से बचाने हेतु दिशा–निर्देशिका विकसित की गई है। दिशा–निर्देश में प्रमुख अनुशंसित प्रथाओं को भी सम्मिलित किया गया है, विस्तृत दिशा–निर्देशिका संलग्न। अतः संलग्न दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।

इसके अतिरिक्त वायरल महामारी को देखते हुए, सभी कुपोषण उपचार केन्द्रों (MTC/NRC) में अनावश्यक सभाएं, सामूहिक परामर्श, रोगियों के बीच घनिष्ठ/निकट संपर्क इत्यादि नहीं किये जाने चाहिए।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त की पालना अविलम्ब की जानी सुनिश्चित करें।

मिशन निदेशक, एनएचएम
एवं विशिष्ट शासन सचिव
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प.क. सेवाऐं

क्रमांकः एफ7. ( )/एनएचएम/सी.एच/MTC/2020/359 दिनांकः 8/9/2020

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव— चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सहायक, मिशन निदेशक— एनएचएम एवं विशिष्ट शासन सचिव— चिकि. स्वा. एवं प.क.
3. निजी सहायक, निदेशक—आरसीएच।
4. राज्य कार्यक्रम प्रबंधक, एनएचएम।
5. परियोजना निदेशक— शिशु स्वास्थ्य, एनएचएम।
6. संयुक्त निदेशक— समस्त जोन।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी— सम्बन्धित जिले।
8. एमटीसी इन्चार्ज— सम्बन्धित एमटीसी।
9. जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी— सम्बन्धित जिले।
10. राज्य प्रतिनिधि यूनिसेफ (न्यूट्रीशन)।
11. जिला कार्यक्रम प्रबंधक— सम्बन्धित जिले।
12. प्रभारी सर्वर कक्ष।

निदेशक (आर.सी.एच.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान,जयपुर

पोषण पुनर्वास केन्द्र (कुपोषण उपचार केन्द्र) पर COVID-19 के संक्रमण से नियंत्रण के उपाय

- हाथ धोने की आदत को प्रोत्साहित करें:–
  - बच्चों को खाना खिलाने से पहले और बाद में, शौच के बाद तथा किसी बाहरी वस्तु के छूने पर हाथ अवश्य धोएं/सैनिटाइज करें:– साबुन के साथ 40 सैंकड हाथ धोएं या 70 प्रतिशत अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर के साथ 20 सैंकड तक हाथ सैनिटाइज करें।
  - उपचारात्मक भोजन बनाने से पहले स्वास्थ्य कार्यकर्ता आवश्यक रूप से हाथ को कम से कम 20 सैंकड तक धोएं
  - हाथ धोने हेतु अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर (कम से कम 70 प्रतिशत अल्कोहल युक्त) अथवा साबुन का प्रयोग करें।
  - हाथ धोने की विधि प्रदर्शन वाले पोस्टर को पोषण पुनर्वास केन्द्र में हाथ धोने के स्थान पर डिस्प्ले किया जाना सुनिश्चित करें।

नोट:– माँ एवं बच्चें की व्यक्तिगत स्वच्छता का भी ध्यान रखा जायें।

- चिकित्सीय जाँच और उपचार:–
  - पोषण पुनर्वास केन्द्र में भर्ती बच्चों के दिन में दो बार बुखार, खांसी या सांस लेने में कठिनाई संबंधित स्वास्थ्य जांच करें और तापमान रिकॉर्ड करें।
  - प्रोटोकॉल के अनुसार सभी बच्चों को एंटी–बायोटिक की खुराक देना सुनिश्चित करें।
  - खांसी, निमोनिया, बुखार अथवा कोविड–19 के लक्षणों की निगरानी करें और यदि किसी में संकेत दिखाई दे तो चिकित्सीय प्रोटोकॉल के अनुसार आवश्यक उपचार सुनिश्चित करें।
  - संक्रमण के जोखिम कम करने हेतु यदि भर्ती गंभीर कुपोषित बच्चों में चिकित्सीय जटीलता समाप्त हो गई हो एवं लगातार तीन दिनो तक >5gm/kg/day वजन में वृद्वि प्राप्त हो रही है, तो MTC/NRC से जल्दी छुट्टी दिये जाने पर विचार किया जा सकता है।
  - गंभीर कुपोषित बच्चों अथवा देखभालकर्ता में कोविड–19 के संक्रमण /पुष्टी की स्थिति में उन्हें अलग कर आईसोलेशन सेन्टर में रखते हुये कोविड–19 के दिशा–निर्देशनुसार स्वास्थ्य सेवाएं दिया जाना चाहिए।
- अति–गंभीर बच्चों और देखभालकर्ता का पोषण:–
  - 6 माह से अधिक उम्र के बच्चों और देखभालकर्ता को अधिक से अधिक पानी पीने हेतु परामर्श दे।
  - अतिगंभीर कुपोषित बच्चे जो पुनर्वास की स्थिति (Rehabilitation Phase) में हैं देखभालकर्ताओं के भोजन में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढाने हेतु खट्टे फलों, पीले फल और सब्जियों, साबुत अनाज और दालों का अधिकतम उपयोग करें।
- व्यक्तियों के बीच दूरी बनाये रखे:–
  - पोषण पुनर्वास केन्द्र (कुपोषण उपचार केन्द्र) में व्यक्तियों के बीच में कम से कम 1 मीटर की दूरी अवश्य रखें।

डॉ. पुष्पमाला जैन
परियोजना निदेशक
(शिशु स्वास्थ्य)

- पोषण पुनर्वास केन्द्र (कुपोषण उपचार केन्द्र) में दो बेड के बीच में कम से कम 2 मीटर की दूरी रखे।
- पोषण पुनर्वास केन्द्र (कुपोषण उपचार केन्द्र) में अनावश्यक आगुन्तकों के प्रवेश पर निषेध हो।
- महिलाओं को समूह में परामर्श देने के स्थान पर व्यक्तिगत परामर्श दे।

- श्वसन संबंधि स्वच्छता का पालन:-
  - सामान्य गतिविधियों के दौरान सभी कार्यकर्ता श्वसन स्वच्छता का अभ्यास (अपने मुंह एवं नाक पर मास्क का प्रयोग) करें।
  - बच्चे अथवा देखभालकर्ता को सर्दी, खांसी से ग्रसित होने पर उन्हें भी मास्क का प्रयोग करायें।
- सामान्य स्वच्छता संबंधी निर्देशें का पालन:-
  - पोषण पुनर्वास केन्द्र में उचित साफ-सफाई का ध्यान रखे और फर्श को सोडियम हाइप्रो-क्लोरेट (0-5%) से साफ कर कीटाणु रहित बनाये रखे।
  - पोषण पुनर्वास केन्द्र में प्रोटोकॉल के अनुसार चादरों की साफ-सफाई रखे, गंदा अथवा गिला होने पर तुरन्त बदल और मैकिनतोश (Mackintosh) का प्रयोग करें।
  - रोजमर्रा के उपकरणों जैसे- थरर्मोमिटर, एन्थ्रोपोमेत्रिक उपकरणों इत्यादि को 70 प्रतिशत इथाइलअल्कोहल के द्वारा कीटाणु-रहित बनायें।
  - मेज, कुर्सी, दरवाजे के हैंडल को बार-बार न छुने दे और इन्हें भी प्रतिदिन कीटाणु-रहित बनाये
  - पोषण पुनर्वास केन्द्र में स्वच्छ पानी हेतु Water Filter/RO की उपलब्धता सुनिश्चित करें, यदि आरओ उपलब्ध न हो तो उबाल के पानी का उपयोग करें।
  - सभी देखभालकर्ताओं और बच्चों के भोजन हेतु अलग-अलग बर्तनों की व्यवस्था करें और उनकी नियमित सफाई सुनिश्चित करें।
  - अतिगंभीर कुपोषित बच्चों और देखभालकर्ताओं को शौचालय के उचित उपयोग हेतु परामर्श दे और शौचालय की नियमित सफाई करावए।
  - यथा-संभव डायपर के प्रयोग को मना करें, अत्यंत आवश्यक होने पर इनको बेड-पैन में एकत्र कर इनका सुरक्षित निपटारा करें और बैड-पैन को हाइपो-क्लोरेट (0.5%) से साफ कर कीटाणु-रहित बनाये रखे।
  - डस्ट-बिन को हाइपोक्लोराइड अथवा अन्य कीटाणु रोधी से नियमित साफ करें।
  - बच्चों के खेलने हेतु सिर्फ धोये जा सकने वाले खिलौनों का प्रयोग करे तथा एक बच्चे के खेलने के बाद दुसरे बच्चे को खिलौना साबुन और गर्म पानी से धोने के उपरान्त ही उपलब्ध करवाये।
  - उपचारात्मक भोजन बनाने के दौरान पूर्ण स्वच्छता का पालन करे, भोजन बनाने के दौरान टोपी, एप्रन, मास्क, दस्ताने का प्रयोग करे और भोजन पकाने और परोसने के बर्तनों को नियमित विसंक्रमक (Sterlize) करें।

पोषण पुनर्वास केन्द्र पर भर्ती के दौरान और छुट्टी के समय देखभालकर्ताओं को COVID-19 के लक्षणों और बचाव से संबंधित जानकारी प्रदान करना सुनिश्चित करें।

डॉ. पुष्पमाला जैन
परियोजना निदेशक
(शिशु स्वास्थ्य)

Month: FY 2020-21 (Upto May 20)

Zone	S. No.	District	MTC					
		Name of District	Name of MTC	Total Admission	Bed Occupancy Rate %	Average length of stay	LAMA	Death
AJMER	1	AJMER	Govt amritkaur hospital, Beawar	4	5.16%	4.00	0	0
	2		JLN Ajmer,Medical college	12	15.33%	3.96	1	0
	3	BHILWARA	DH BHILWARA	24	30.48%	3.94	0	0
	4	NAGAUR	DH NAGAUR	6	9.84%	10.00	0	0
	5	TONK	DH TONK	0	0.00%	0.00	0	0
BHARATPUR	6	BHARATPUR	Zanana Hospital, Bharatpur	13	37.84%	14.52	7	0
	7	DHOLPUR	**DH DHOLPUR (20)**	0	0.00%	0.00	0	0
	8	KARAULI	GH KARAULI	11	10.67%	4.64	0	0
	9	S.MADHOPUR	S.MADHOPUR	3	0.32%	0.33	0	0
BIKANER	10	BIKANER	SPMC, BIKANER	13	50.00%	11.54	0	0
	11	CHURU	DH CHURU	3	3.88%	6.50	0	0
	12	GANGANAGAR	DH GANGANAGAR	10	13.78%	8.71	0	0
	13	HANUMANGARH	DH HANUMANGARH	7	6.77%	3.00	0	0
JAIPUR	14	ALWAR	DH Alwar	12	12.10%	3.13	1	0
	15		Rajgarh Alwar	0	0.00%	0.00	0	0
	16	DAUSA	DH DAUSA	2	2.74%	4.25	2	0
	17	JAIPUR I	Kanwatiy Hospital	0	0.00%	0.00	0	0
	18	JAIPUR I	J.K.Lon,SMS HOSP Jaipur	0	0.00%	0.00	0	0
	19	JHUNJHUNU	BDK JHUNJHUNU	2	7.10%	11.00	0	0
	20	SIKAR	SK Hospital, SIKAR	2	0.32%	0.50	0	0
JODHPUR	21	BARMER	DH BARMER	1	0.00%	0.00	0	0
	22	JAISALMER	DH JAISALMER	0	0.00%	0.00	0	0
	23	JALORE	DH JALORE	5	5.32%	3.30	0	0
	24	JODHPUR	MDM Hospital, Jodhpur	1	8.00%	24.00	0	0
	25		SDH Paota	0	0.00%	0.00	0	0
	26	PALI	DH PALI	19	22.53%	7.16	0	0
	27	SIROHI	DH SIROHI	2	4.68%	7.25	0	0
KOTA	28	BARAN	**DH Baran (20)**	0	0.00%	0.00	0	0
	29		**SDH Shahbad (20)**	3	2.27%	5.75	0	0
	30	BUNDI	DH BUNDI	12	24.42%	11.89	1	0
	31	JHALAWAR	SRG JHALAWAR	0	0.00%	0.00	0	0
	32	KOTA	DH KOTA	0	0.00%	0.00	0	0
UDAIPUR	33	BANSWARA	DH BANSWARA	23	54.43%	14.65	0	0
	34	CHITTORGARH	MABC CHITTORGARH	38	74.56%	11.93	0	0
	35	DUNGARPUR	**DH Dungarpur (20)**	0	0.00%	0.00	0	0
	36		SDH Sagwara	3	6.31%	18.75	0	0
	37	PRATAPGARH	DH PRATAPGARH	0	0.00%	0.00	0	0
	38	RAJSAMAND	R K Govt. Hospital	0	0.00%	0.00	0	0
	39		SDH Nathdwara	0	0.00%	0.00	0	0
	40	UDAIPUR	**R.N.T.Medical college,Udaipur (20)**	113	84.00%	9.71	7	4
			Total=40	**344**	**12.32%**	**5.11**	**19**	**4**